रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102026-277485
CG-DL-E-28102026-277485

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5607] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948
No. 5607] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5832(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 (1956 का48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त धिनियम कहा गया है) की धारा-3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का.आ. 4091 (अ) दिनांक 24-07-2026

भारत के राजपत्र में प्रकाशित आसाधारण भाग- (11), खण्ड-3, उपखण्ड (ii) अधिसूचना संख्या कां.आ. 4091 (अ) दिनांक 24-07-2026 के दिनांकित में

निम्नांकित संशोधन करती है।

जरूरी बदलाव की जानकारी नीचे दी गई है-

क्रमांक संख्या	मूल अधिसूचना/बाद की अधिसूचना में संशोधन की आवश्यकता वाले मामले	विषय में निम्नानुसार संशोधन किया जाना है
	मामले का विवरण	
1.	का.आ. 4091(अ).केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय, नूंह (मेवात) के अधिकार क्षेत्र में कि.मी. 5.200 से कि.मी. 25.200 तक; जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय, गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में कि.मी. 0.600 से कि.मी. 5.200 तक; जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय, गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र में कि.मी. 0.000 से कि.मी. 0.600 तक; तथा जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय, रेवाड़ी के अधिकार क्षेत्र में कि.मी. 0.000 से कि.मी. 1.800 तक, हरियाणा राज्य में 4-लेन ग्रीनफील्ड राजमार्ग के निर्माण में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों का निष्पादन करने के लिए एतद्टारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।	हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-919 (एनएच-919) पर 4-लेन ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास हेतु जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) कार्यालय, नूंह के अंतर्गत कि.मी. 5.200 से कि.मी. 17.100 तक; जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) कार्यालय, गुरुग्राम के अंतर्गत कि.मी. 0.000 से कि.मी. 0.600 तक तथा कि.मी. 0.600 से कि.मी. 5.200 तक; और जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) कार्यालय, रेवाड़ी के अंतर्गत कि.मी. 0.000 से कि.मी. 1.800 तक।

फुटनोट:- मुख्य अधिसूचना संख्या एस.ओ. . 4091 (अ) दिनांक 24-07-2026 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित गई थी।

[फा. सं. PWD/PSR/919/Tauru/001]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5832(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4091(E), dated 24th july, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-Section (ii) S.O. 4091(E), dated 24th july, 2026 namely:

Details of amendment required are as under-

Sr. No.	Matter in principal notification that requires amendment	Matter to be amended as
1.	**Details of matter** S.0. 4091(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 5.2 to 25.2 of DRO Office, Nuh (Mewat) (NH- 919), 0.600 to 5.2 of DRO office, Gurugram (NH- 919), 0 to 0.600 of DRO office, Gurugram (NH- 919), 0 to 1.8 of DRO Office, Rewari (NH- 919) in the State of HARYANA.	For development of a 4-lane Greenfield National Highway of km 5.2 to km 17.100 of DRO Office, Nuh (NH-919) in the State of Haryana, km 0.000 to km 0.600 ; km 0.6 to km 5.2 of DRO Office, Gurugram (NH-919) in the State of Haryana, and km 0 to km 1.8 of DRO Office, Rewari (NH-919) in the State of Haryana.

Foot Note: - The Principal notification was published vide number S.O. 4091(E), dated 24th july 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii)

[F. No. PWD/PSR/919/Tauru/001]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA